



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(दिल्ली विकास प्राधिकरण)
(CONFIDENTIAL BRANCH)
(गोपनीय शाखा)

संस्थापना आदेश संख्या: 399

दिनांक: 27/04/2022

कनिष्ठ स्तर की अनुवीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा., श्री अमरजीत सिंह सुपुत्र श्री जागीर सिंह, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-1, को एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत 30 वर्ष की अवधि पूरी होने पर दिनांक 20.10.2019 से सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल-6 (₹35,400 -1,12,400/-) में (जो कि छठे वेतन आयोग में ₹9300-34800/- के पे बैंड में ₹4200/-के ग्रेड पे था) तृतीय वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान करते हैं।

2. कर्मचारी अपनी पदोन्नति/प्रोन्नति की तिथि से या अगले वेतन वृद्धि की तिथि से उच्च पद/ग्रेड पे के वेतन निर्धारण के विकल्प का चुनाव एफ.आर. 22(1)(ए)(1) के अंतर्गत कर सकते हैं। वेतन और वेतन वृद्धि की तिथि व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/1/2008-आई.सी. दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टिकरण सं०-2 के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
3. एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत वित्तीय अभिवृद्धि कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2000/ ईस्ट(डी) दिनांक 19.05.2009 तथा संख्या आदेश 2157 दिनांक 29.10.09 द्वारा परिचालित आदेश में दी गई शर्तों के आधार पर दी जाती है।
4. इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के अन्दर वे एफ.आर. 22(1)(ए)(1) के प्रावधान के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

(प्रमोद कुमार)
उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

सं०: एफ. 21(14)2022/सी.सी./ 348

दिनांक : 27/04/2022

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. आयुक्त (कार्मिक), दि. वि. प्रा. के निजी सचिव।
2. निदेशक (कार्मिक)-1/(सतर्कता)-1 एवं 2, दि.वि.प्रा.।
3. उप-निदेशक (कार्मिक)-1V, दि.वि.प्रा.।
4. संबन्धित वरिष्ठ लेखाधिकारी (संस्थापना)अराजपत्रित-1V, दि.वि.प्रा., को इस अनुरोध के साथ कि वे एम.ए.सी.पी. के प्रावधान के अनुसार सेवा-पुस्तिका से अधिकारी की पात्रता तिथि/वेतनमान को सत्यापित कर लें। यदि कोई विसंगति हो तो तत्काल इस कार्यालय/कार्मिक शाखा-IV को सूचित करें।
5. सहायक निदेशक (गोपनीय रिपोर्ट)-2/पी.आई.एम.एस., दि.वि.प्रा.।
6. श्री अमरजीत सिंह सुपुत्र श्री जागीर सिंह, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-1, [विचारधीन तेनाती कार्मिक शाखा-1V में], दि.वि.प्रा.।
7. संस्थापना आदेश पुस्तिका।

(आर. एस. नेगी)
सहायक निदेशक (गोपनीय शाखा)